[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **6**/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक **12** मार्च, **2018**

सा.का.नि. (अ.)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "ओ-एसिड" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975** (**1975** का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के मामले में और अधिसूचना संख्या **14/31/2016**-डीजीएडी, दिनांक 23 मई, **2017** के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जुलाई, **2017** जिसे सा.का.नि. 879 (अ), दिनांक 13 जुलाई, **2017** के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था के तहत विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगा दिया है ;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/31/2016-डीजीएडी दिनांक 19 दिसम्बर, **2017**, जिसे दिनांक 19 दिसम्बर, **2017** के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खड । में प्रकाशित किया गया था के तहत अपने निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

(i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से समान मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई ।

(ii) विषयगत देश से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से हुए भारी आयात के कारण हुई है

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुइ इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटी शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो

कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम 10 में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29419030 29152990 29163990 29183090 29189900 29349900 29411090 29419090	ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जियांग्शी चिबांग फार्मास्यूटिकल्स लि.	जियांग्शी चिबांग फार्मास्यूटिकल्स लि.	4.91	कि.ग्रा.	अमे.डॉ.
2		ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जियांग्शी चिबांग फार्मास्यूटिकल्स लि.	(i) झेजियांग कैमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. (ii) झेजियांग हैंगाडिन एपिलोया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.	7.50	कि.ग्रा.	अमे.डॉ
3		ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	(i) झिंयाग झी डाडी फार्मास्यूटिकल्स लि. लायबिलिटी कं. और/या (ii) यांगझिन जिंओंगझू फार्मास्यूटिकल्स कं.लि.	i. झेजियांग कैमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ii. झेजियांग हैंगडियांग एपिलोया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि. iii.झेजिंयाग यू ईजी बिजनैस सर्विस कं.लि. iv. झेजिंयाग झिंगयांग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.	4.90	कि.ग्रा.	अमे.डॉ.
4		ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	i.झेजियांग यूआंग हांग मेडिकल एंड कैमिकल्स टैक्नोलॉजी कं.लि. और/या ii. इनर मंगोलिया यूयांग हांग	i. झेजिंयाग मेडिसिंस एंड हैल्थ प्रोडक्ट कं.लि. ii.चाइना साइनोफार्म इंटरनेशन कार्पोरेशन iii. झेजिंयाग कैमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट	4.16	कि.ग्रा.	अमे.डॉ.

					फाइन कैमिकल्स कं.लि.	कं.लि. iv झेजियांग झिंगयांग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि. v. शंघाई चांगयू कैमिकल्स टैक्नोलॉजी कं.लि.			
5		ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 4 में उल्लिखित से भिन्न कोई संयोजन		8.55	कि.ग्रा.	अमे.डॉ.
6		ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	8.55	कि.ग्रा.	अमे.डॉ.
7		ओ-एसिड या ओफ्लाक्सासिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	8.55	कि.ग्रा.	अमे.डॉ.

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 13 जुलाई, **2017** से तीन वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के व्यपगत होने की तारीख अर्थात 13 जनवरी, **2018** से सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तत्काल पूर्व तक की अवधि में लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या.354/111/2017 –टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार